भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:2284

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अंतर-एम्स स्थानांतरण नीति

†2284. प्रो. सौगत राय:

श्री किशोरी लाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में समान रूप से लागू होने वाली एकसमान, पारदर्शी तथा समयबद्ध अंतर-एम्स स्थानांतरण नीति तैयार करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कर्मचारियों की ओर से अंतर-एम्स स्थानांतरण प्रक्रिया में विलंब, विसंगति तथा एकरूपता के अभाव के संबंध में कोई अभ्यावेदन अथवा शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर-एम्स स्थानांतरण अनुरोधों के निस्तारण के लिए वर्तमान में कोई समान दिशा-निर्देश अथवा मानक संचालन प्रक्रियाएं लागू हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने एकसमान स्थानांतरण नीति के अभाव का कर्मचारियों के मनोबल, उनके प्रतिधारण तथा नए एम्स संस्थानों के कार्यकरण पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या यह सच है कि एम्स, रायबरेली में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): मंत्रालय को एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से दूसरे एम्स में कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी एम्स स्वायत्तशासी निकाय हैं, जो समय-समय पर संशोधित एम्स अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किए गए हैं। एम्स संस्थान अलग-अलग इकाइयाँ हैं और एम्स अधिनियम के अनुसार एक एम्स से दूसरे एम्स में कर्मचारियों के स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।

(च): एम्स रायबरेली में संकाय एवं गैर-संकाय स्वीकृत, भरे गए और रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:

संकाय			गैर-संकाय		
स्वीकृत	भरे गए पद	रिक्त पद	स्वीकृत	भरे गए पद	रिक्त पद
209	113	96	1613	1188	425

पदों का सृजन और भर्ती एक सतत और सक्रिय प्रक्रिया है। नव-स्थापित एम्स में स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं:

(i) प्रत्येक संस्थान में संकाय आदि के चयन के लिए उनके संबंधित अधिनियम में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार स्थायी चयन समिति (एसएससी) का गठन किया गया है।

(ii) नए एम्स में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) और सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी) से 70 वर्ष की आयु तक, प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त संकाय की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

(iii) विजिटिंग फैकल्टी स्कीम इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि भारत के भीतर सरकारी संस्थानों या भारत के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक पद धारण करने वाले प्रोफेसर, अतिरिक्त प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नए एम्स में शिक्षण उद्देश्यों के लिए विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्य कर सकें।

(iv) नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के लिए नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (एनओआरसीईटी) एम्स, दिल्ली द्वारा आयोजित की जाती है।

(v) समूह ख और ग गैर-शिक्षण पदों की भर्ती के लिए **वर्ष** 2025 में सामान्य भर्ती परीक्षा (सीआरई) एम्स, दिल्ली द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित की गई।

(vi) जूनियर रेजिडेंट (अकादमिक) के चयन के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईएनआई-सीईटी) और सीनियर रेजिडेंट (अकादमिक) के चयन के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान सुपर स्पेशलिटी (आईएनआई-एसएस) परीक्षा एम्स, दिल्ली द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है।
